

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री नरेन्द्र जैन, अध्यक्ष, महानगर, कॉग्रेस कमेटी (इ), किशोर नगर, आई० टी० आई० रोड,
अलीगढ़ ।
प्रार्थना पत्र संख्या व 029 / 12, 12.04.2012
दिनांक दिनांक
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री नरेन्द्र जैन, अध्यक्ष, महानगर, कॉग्रेस कमेटी (इ), किशोर नगर, आई० टी० आई० रोड, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 12.04.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा “स्टील पाइपों एवं उसकी फिटिंग्स जैसे पाइप क्लेम्प्स” पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कोई नोटिस भेजी गयी । अन्तिम नोटिस दिनांक 13.12.2012 के लिए भेजी गयी । किन्तु कभी कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता महानगर कॉग्रेस कमेटी (इ) अलीगढ़ के अध्यक्ष हैं । इनके द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है और न ही ये किसी प्रकार से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं अतः उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत person or dealer concerned न होने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत वे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में विहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो । प्रार्थी अध्यक्ष, महानगर कॉग्रेस कमेटी (इ), किशोर नगर, आई० टी० आई० रोड, अलीगढ़ द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर है । ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं । अतः उक्त संगठन प्रश्न पूछने के लिए पत्र नहीं है । ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई० टी० अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 12 मार्च, 2014

ह० / 12.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।